## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

...सीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

**राजस्व आवेदन :– 130/2022 अन्तर्गत धारा 251 'क'** Rt Act

अनवान :–

प्रार्थी:–

1.दुर्गाराम पुत्र चेतनराम, जाति जाट
निवासी बावड़ीकला, तहसील चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1.महेन्द्रसिंह पुत्र ठाकराराम, जाति जाट
निवासी बावड़ीकला, तहसील चौहटन
2.तहसीलदार चौहटन।

**वकील प्रार्थी :– श्री जगदीश पोटलिया**

**वकील विप्रार्थीगण :– श्री सुरेश चौधरी, श्री प्रवीण चौधरी**

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

**निर्णय**

दिनांक 22.12.2022

प्रार्थी दुर्गाराम पुत्र चेतनराम, जाति जाट, निवासी बावड़ीकला, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा गुमानपुरा, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा नं. 1204/85 रकबा 03.1161 हैक्टेयर का आया हुआ है। उसकी उक्त जोत पर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थी अपनी जोत में आने जाने से बाधित होता है। प्रार्थी को विप्रार्थीगण के खसरा सं. 712/110 की भूमि मौजा गुमानपुरा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चौधरी ने वकालतनामा पेश किया । विप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 141 सीपीसी सपठित

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

आदेश 07 नियम 11 वास्ते निरस्त करने आवेदन का पेश किया गया। विप्रार्थी सं. 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 141 सीपीसी सपठित आदेश 07 नियम 11 का जवाब वकील प्रार्थी पेश नहीं करना चाहते है अतः जवाब बन्द किया गया।

वकील प्रार्थी की ओर से रास्ते के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया गया। जिसे स्वीकार कर तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट मंगवाने हेतु लिखा गया ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 141 सीपीसी सपठित आदेश 07 नियम 11 पर उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 141 सीपीसी सपठित आदेश 07 नियम 11 खारीज किया गया । जिसका विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया ।

तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। विप्रार्थी सं. 1 के वकील ने आवेदन का जवाब मय अतिरिक्त जवाब पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में अपने आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है, तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को रास्ता दिया जावे।

विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की बताई गई जोत कटाण रास्ते से जुड़ी हुई है। प्रार्थी को आने जाने के लिए विप्रार्थी द्वारा कभी बाधा कारित नहीं की गई। प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेतों मध्य करीब 2 किलोमीटर की दूरी है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये प्रस्तावित रास्ता में विप्रार्थी के निवासी की ढाणी, टांका व स्नानघर इत्यादि बने हुए है। ढाणी को तोड़कर रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।

विप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थी की जोत से बाहर निकलने के लिए कटाण रास्ता प्रार्थी स्वयं ने स्वीकार किया है जो मात्र 12 फीट का है एवं प्रार्थी के खेत से बाहर निकलने के लिए उक्त रास्ता मौजूद होने के बावजूद मात्र राजमार्ग पर जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् दिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा सलंग्न नक्शे में स्वयं के खेत का नक्शा नहीं बताया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का आवेदन अपूर्ण ... के प्रावधानों के विरूद्ध एवं मनगढत तथ्यों पर आधारित हो... अतः प्रार्थी का आवेदन खारीज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

इसके अतिरिक्त विप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि विप्रार्थी अपने स्वयं के खसरा सं. 712/110 के सेढ़ासेढ़ लगे खेत खसरा सं. 111 व 707/108 के सेढ़ासेढ रास्ता देने हेतु सहमत है। जिस बाबत पीछे से जो 12 फीट का रास्ता आ रहा है उसमें से 06 जमीन विप्रार्थी देने हेतु सहमत है, शेष जमीन विप्रार्थी के पड़ौसी खातेदारों से नियमानुसार प्राप्त करने हेतु संशोधित आवेदन प्रार्थी वकील पेश करे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव , आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है वो तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विकल्प सं. I बिन्दु सं. C से D बरंग लाल है। उसका विवरण निम्नानुसार है :–

| क्र. सं. | खसरा संख्या | रकबा हैक्टेयर में | किस्म | रास्ते की चौड़ाई फीट में | रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि | मौजा | खातेदार का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 712/110 | 02.1125 | बा.दो. | 20 फीट | 0.16 बीघा (0.1294 हैक्टेयर) | गुमानपुरा | महेन्द्रसिंह पुत्र ठाकराराम, जाति जाट |

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थी को खसरा नं. 712/110 के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में लाल रंग बिन्दु सं. C से D दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधित) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि यदि आपसी सहमति से राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/अधिकारी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थी को रास्ता दिया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थी द्वारा देय होगी और प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण/प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस विकल्प सं. I बिन्दु सं. C से D बरंग लाल 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में विकल्प सं. I अनुसार लाल रंग बिन्दु सं. C से D दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।
2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।
3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नए रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा इस बात का निश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हो चुकी है। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने से इनकार करता हो तो प्रार्थी द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी ।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्षतिपूर्ति राशि तहसील में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसीलदार द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

4. नए प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "**रास्ता**" के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।
5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में विकल्प सं. I अनुसार बिन्दु सं. C से D बरंग लाल दिए जाने का आदेश आज दिनांक 22.12.2022 को दिया जाता है। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 09/12/2022 02:48:49 PM

:बाड़मेर

तहसील : चौहटन

भू. अ. नि. क्षेत्र :बावड़ी कलां

:बावड़ी कलां

ग्राम : गुमानपुरा

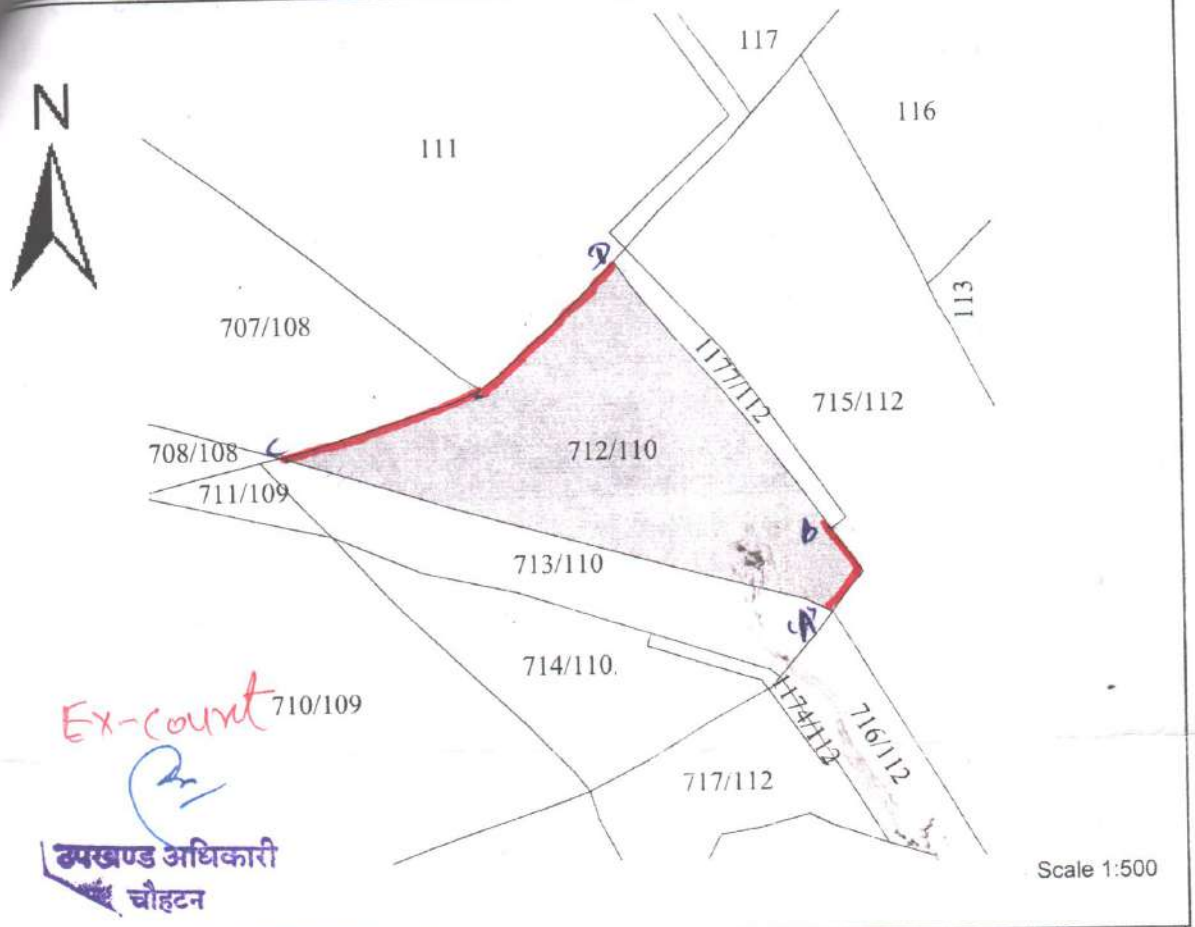


Ex-court

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

खसरा संख्या :712/110 क्षेत्रफल : 2.1125 Hectare खाता संख्या : 73पुराना खाता संख्या :104

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान ]: बा.दोयम [ 2.1125, 0.65 ]

1.) महेन्द्रसिंह पुत्र ठाकराराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार

3085

9.12.2022

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

नोट :- १. यह पपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:35:57 IST
Reason: SelfAttested

9.12.2022

तहसीलदार चौहटन